न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 15/2020 :GCMS No 2020/00109
दायरा तिथि : 16.09.2020
आदेश तिथि : 14-07-22

प्रार्थी :–
भीकसिंह पुत्र छतरसिंहजी जाति राजपुत
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थी :–
दीपसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 14-07-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 709 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से निजी खातेदार दीपसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत की खातेदारी भूमि धणी के खसरा नंबर 708 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1200 दिनांक 15.07.2021 प्रेषित कर निवेदन किया ग्राम धणी तहसील के खसरा नंबर 707 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा की खातेदारी भूमि श्री भीकसिंह पुत्र छत्तरसिंह जाति राजपुत निवासी धणी तहसील बाली के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज हैं। उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये खसरा नंबर 708 मेंसे रास्ते की मांग की गई हैं। खसरा नंबर 708 रकबा 1.62 हैक्टर भूमि श्री भीकसिंह पुत्र छत्तरसिंह जाति राजपूत के नाम से खातदारी दर्ज हैं। प्रार्थी के द्वारा जिस स्थान पर रास्ता चाहा गया है खसरा नंबर 708 की भूमि पर उस जगह पर एक पुराना ट्यूबवैल खुदा हुआ है जो पहले से ही हैं एवं उस पर विद्युत कनेक्शन भी किया हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के बीच में उक्त ट्यूबवैल आता हैं। उक्त ट्यूबवेल में पानी होने की वजह से दीपसिंह की खातेदारी भूमि सिंचित होती हैं। खातेदारी भूमि के बीच में रजगे की फसल भी हैं। प्रार्थी की शामलाती भूमि खसरा नंबर 707 रकबा 0.800 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा की भूमि में बेरा कई वर्षो से बन्द पडा हैं एवं सुखा हैं एवं वहां पर कनेक्शन भी नहीं किया हुआ है। इस बेरे के खसरा नंबर 707 व खातेदारी भूमि खसरा नंबर 709 में जाने के लिये पुर्व से रेकर्ड में रास्ता दर्ज है जो नक्शे में लाल रंग से दर्शित हैं जिसके राजस्व रेकर्ड की नकले भी पेश की गई। कुएं में पानी नहीं होने एवं पूर्व से ही उक्त भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध होने से न्यायोचित तरीके से नया रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता बिन्दु वार निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:–

1. कि प्रार्थी भीकसिंह ने गांव धणी के खसरा नंबर 709 रकबा 1.57 हैक्टर कृषि भूमि जो उसके खातेदारी की हैं उस भूमि में से रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नंबर 708 रकबा 1.62 हैक्टर भूमि मेंसे रास्ता की मांग की हैं। खसरा नंबर 709 से खसरा नंबर 707 गै.मु. बेरा में आने जाने हेतू प्रार्थी रास्ता मांग रहा हैं। खसरा नंबर 707 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा में तीन खातेदार हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी दीपसिंह का 1/3 हिस्सा व शम्भूसिंह का 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज हैं व इस बेरे में पानी नहीं होने से पिछले 40 वर्षो से उपरोक्त बेरा खसरा नंबर 707 कई वर्षो से बंद पडा है। सुखा हैं एवं उस पर कोई विद्युत कनेक्शन लिया हुआ नहीं हैं। उपरोक्त बेरे का वास्तविक व भौतिक उपयोग वर्तमान में खातेदारो द्वारा नहीं किया जा रहा हैं।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 15/2020 :GCMS No 2020/00109
अनवान भीकसिंह बनाम दीपसिंह
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. कि प्रार्थी द्वारा कथा कथित जिस भूमि की आवश्यकता हेतु अप्रार्थी की खातेदारी मेंसे जिस रास्ते की मांग की है उस भूमि खसरा नंबर 707 में कोई चालु कुआ/बेरा नहीं हैं। अप्रार्थी के खातेदारी के खसरा नंबर 708 में जहां से प्रार्थी ने प्रस्तावित रास्ता की मांग की हैं उस प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थी का एक पुराना ट्यूबवेल खुदा हुआ हैं। जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के पहले खुदा हुआ हैं तथा उस ट्यूबवेल पर अप्रार्थी के नाम का विद्युत कनेक्शन हैं तथा मौके पर प्रस्तावित की जा रही भूमि पर अप्रार्थी की फसल बोई हुई है। इस प्रकार अप्रार्थी के पुराने ट्यूबवेल के उपर से रास्ते की मांग की है जो रास्ते की मांग सरासर गलत होने से काबिल खारिज है। संयुक्त बेरा खसरा नंबर 707 तक आने जाने हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी तथा अन्य सह खातेदार पगडण्डी का उपयोग कभी कभी लेते हैं क्योंकि खसरा नंबर 707 का बेरा पडत है जिसमें पानी नहीं है, लाईट कनेक्शन नहीं एवं मशीन भी लगा हुआ नहीं है। प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने व अप्रार्थी पक्ष द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से दोनो पक्षो के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकुलाय को सुनने के पश्चात् प्रार्थी को हिदायत दी गई कि अपने आवेदन में इस बाबत् स्थिति स्पष्ट करावे कि खसरा नंबर 707 बेरे से खसरा नंबर 709 में आने–जाने के तथ्य क्यों नहीं उल्लेखित किये गये। इस सबंध में वकील प्रार्थी ने स्थिति स्पष्ट करते हुये संशोधन बाबत् प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि पुर्व के आवेदन में खसरा नंबर 707 बेरे से खसरा नंबर 709 में आने–जाने के तथ्य वर्णित नहीं किये थे, लेकिन वास्तव में प्रार्थी को बेरे की मोटर चालू करके सिंचाई हेतु खसरा नंबर 709 में आना–जाना पडता हैं। इस हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। इस सबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर इस बाबत् तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्ति के लिये लंबित रहने के दौरान् दिनांक 29.06.2022 को वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी को बेरे पर मोटर चालू–बन्द करने के लिये निर्बाध आने–जाने के लिये अण्डर टेंकिग लिखकर देने की सहमति व्यक्त की। जिस संदर्भ में प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो पक्षो को न्यायालय में उपस्थित रखने के निर्देश दिये गये। दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष दोनो व्यक्तिशः उपस्थित हुये तथा उनके अधिवक्तागण भी उपस्थित हुये। अप्रार्थी पक्ष ने पगडण्डी के रूप में बेरे पर मोटर चालू कर आने–जाने के लिये लिख कर देने की सहमति प्रकट की। परन्तु प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग को जारी रखने हुये रेकर्डेड रास्ता अप्रार्थी की भूमि मेंसे दिलाये जाने की मांग की गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि प्रार्थी के बेरे के खसरा नंबर 707 व 709 में जाने के लिये पुर्व से रेकर्ड में रास्ता उपलब्ध है तथा मौके पर भी है। जिस तथ्य को तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है। धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो अनुसार खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कोई विकल्प नहीं होने तथा रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही नवीन रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदक की सुविधा के लिये नया रास्ता इस विनाय पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं कि जो रास्ता उपलब्ध है तथा उपयोग में आ रहा है, परन्तु वह कुएँ की मोटर चालू करने के पश्चात् खातेदारी भूमि तक पहुँच से दूर पडता है, अतः नजदीकी रास्ता स्वीकृत किया जावे। बिजली की मोटर को चालू–बन्द करने के लिये आने–जाने के लिये अप्रार्थी पक्ष अण्डर टेंकिग भी ले रहे है, परन्तु आवेदक को तो नया रेकर्डेड रास्ता ही चाहिये। चूँकि प्रकरण में पहले से रास्ता उपलब्ध है तथा नया रेकर्डेड रास्ता आवेदक की सुविधा के लिये ही चाहा रहा है, जो विधिक प्रावधानो के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली (राज)
दिनांक 19-07-22

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3066-69
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू०अ० खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी
4. आवेदक श्री भीकसिंह पुत्र छत्तरसिंह जाति राजपुत निवासी धणी को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner